Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 143-Bhinmal Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Sh. Pooraram Choudhary V/p Kavtra Teh. Bagoda Distt Jalore [sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

Date: 11-12-2018

Daulat Ram Choudhary रिट्निंग अधिकारी Returning Officer विधान समा निर्माण क्षेत्र भीनवाल (143)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की धोषणा।

143-भीनमाल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री पूराराम चौधरी मु. पोस्ट – कावतरा, तह. बागोड़ा जिला जालोर, राजस्थान [जो भारतीय जनत। पार्टी द्वारा खड़े किए गए।]

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जालोर

तारीख : 11.12. 2018

दोलतराम चौधरी रिटर्निय अधिकारी विद्यानिहर्ज़ी किथाँचिन कीज भीनवाल (143)